न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-532RAAJodhpur2024-288RTA225 Subhashram ors Vs Jagdish etc

1. सुभाषराम पुत्र श्री हरिराम
2. जानकी पत्नी श्री हरिराम
3. शिवरी पत्नी श्री सोहनलाल
4. राकेश पुत्र श्री सोहनलाल
5. बेबी पुत्री श्री सोहनलाल(नाबालिग) जरिये माता अपीलार्थीनी संख्या तीन शिवरी पत्नी सोहनलाल

सभी जातियान् जाट, निवासीगण– बारनीखुर्द, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. जगदीश पुत्र श्री भीकाराम
02. बाबुलाल पुत्र श्री भीकाराम
03. उम्मेदराम पुत्र श्री भीकाराम

सभी जातियान् जाट, निवासीगण– बारनीखुर्द, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।

04. प्रबंधक, राजस्थान मरूधर ग्रामीण बैंक रजलानी
05. भूमिधारी जरिये तहसीलदार भोपालगढ।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 13 जून 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 1128/2021 जगदीश बनाम सुभाषराम इत्यादि

उपस्थित–

श्री बाबुलाल विश्नोई, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री अनोपसिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या पांच

नि र्ण य

दिनांक : 15 अप्रैल 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 1128/2021 जगदीश बनाम सुभाषराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 13 जून 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 16 दिसंवर 2024 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 455 ग्राम बारनी खुर्द तहसील भोपालगढ में आवागमन हेतु अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 453/1 में सें 15 फुट चौड़ा रास्ता चाहा तथा मौके पर अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय प्रार्थीगण/रेस्पो. का प्रार्थना पत्र दिनांक 09.08.2019 को स्वीकार कर लिया गया, जिसके विरूद्ध अदालत हाजा में अपील प्रस्तुत की गई। अदालत हाजा द्वारा दिनांक 22.10.2021 को अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर मौके पर उपलब्ध रास्ते के विकल्पों बाबत पुनः रिपोर्ट तलब कर मामले के निस्तारण के निर्देश दिये गये। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण में पुनः सुनवाई उपरांत अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 जून 2022 के जरिये प्रार्थीगण/रेस्पो. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने अपनी में तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट्स की खातेदारी भूमि में से किसी प्रकार का रास्ता नहीं चलता है। रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत निर्देशों की पालना किये बिना आलौच्य आदेश पारित किया गया हैं। प्रार्थीगण/रेस्पो. आवागमन हेतु खसरा नम्बर 456 की पश्चिमी माठ के सहारे निकटतम एवं सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिंदु पर गौर किये बिना तथा न ही माननीय न्यायालय के निर्देशों की पालना में इस बाबत मौका रिपोर्ट तलब की गई। विचारण न्यायालय द्वारा कोविड–19 महामारी के बाद अपीलार्थीगण को सूचित किये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधि की मंशा के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स की अनुपस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इस कारण परिसीमा की विधि लागु नही होती हैं। तत्समय न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित किया था उस समय कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा था। इस कारण अपीलांट्स विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके। तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारों को सूचित किये बिना आलौच्य आदेश पारित कर दिया, जिसकी जानकारी अपीलांट्स को नहीं हुई। दिनांक 02.12.2024 को हल्का पटवारी मौके पर आकर नाप–तौल करने लगे तो अपीलांट्स ने उनसे ऐसा करने का कारण पूछा तो पटवारी हल्का द्वारा अपीलाधीन रास्ते के आदेश के बारे में बताया गया। जिस पर अपीलांट्स ने दिनांक 03.12.2024 को उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ के कार्यालय मे आदेश के बाबत पता कर नकल हेतु आवेदन किया जिस पर नकल दिनांक 04.12.2024 को प्राप्त हुई। अपीलांट्स द्वारा जानकारी से हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स ने जानबूझकर या उद्देश्य विशेष की प्राप्ति हेतु कोई विलम्ब नहीं किया है, उक्त विलम्ब सदभावी था, जो क्षम्य योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 जून 2022 को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम है जो मौके पर चलायमान है। उक्त रास्ते के अलावा रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है। अपीलांट्स द्वारा रास्ता न देने की नियत से हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में माननीय न्यायालय द्वारा मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेपित किया गया था। अपीलांट्स प्रतिप्रेषित प्रकरण में बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए तथा न ही अपना पक्ष रखा। विचारण न्यायालय द्वारा नियमानुसार तलब मौका फर्द अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम पाण्या गया है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आधार पर विधिसम्मत आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अदालत हाजा द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण में प्रदत निर्देशों की पालना में विचारण न्यायालय द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट तलब किया जाना पाया जाता है। उक्त मौका फर्द दिनांक 06.04.2022 में रेस्पोडेंट्स के खातेदारी खसरा नंबर 455 में आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम रास्ता बताया गया है।

अपीलांट्स का कथन है कि रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु खसरा नंबर 456 की पैमाइशी माठ के सहारे-सहारे रास्ता उपलब्ध है। इस संबंध में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है अपीलांट्स द्वारा सुझाया गया रास्ता एवं अपीलाधीन रास्ता समानांतर होने से उक्त रास्तों की दूरी समान प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का उक्त उज्र मानने योग्य नहीं है।

जहां तक अपीलांट्स का उज्र है कि विचारण न्यायालय द्वारा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इस संबंध में उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अदालत हाजा प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने की जानकारी अपीलांट को रही है। अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखा गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का उक्त उज्र भी मानने योग्य नहीं है।

विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द अनुसार लघुतम एवं निकटतम रास्ते का विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 1128/2021 जगदीश बनाम सुभाषराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 13 जून 2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर